

# कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी वेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन-202001 \* ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 2181 /14-1, दिनांक:अलीगढ़:जनवरी 27, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद अलीगढ़-मथुरा मार्ग में (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 3.920 दॉयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद तहसील-कोल के खसरा सं0-13 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.04085 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

जनपद अलीगढ़-मथुरा मार्ग में (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 3.920 दॉयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद तहसील-कोल के खसरा सं0-13 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.04085 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 2372/अलीगढ़/अदर्स/15639/2015, दिनांक 14.01.2016 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक

/14-1,

समदिनांकित।

1-

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्रांक 2372/अलीगढ़/अदर्स/15639/2015, दिनांक 14.01.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2-


प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर एस्सार ऑयल लि0 ए-5, सेक्टर-3 नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

**भाग-3**  
**(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

<p>14.</p>	<p>क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>जंगपद अलीगढ़-मथुरा मार्ग में (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 2.920 दायी पटरी पर ग्राम दौलताबाद तहसील-कोल के खसरा सं0-13 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण।</p> <p style="text-align: center;">नहीं</p>
<p>15.</p>	<p>क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।</p>	<p style="text-align: center;">हाँ</p>
<p>16.</p>	<p>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।</p>



(आलोक कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

तिथि:- 22.01.2016

स्थान:-अलीगढ़।